आईसोपॉम योजना वर्ष 2010–11

''दलहन, तिलहन, मक्का एवं आईलपॉम की समन्वित योजना''

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 से आईसोपॉम योजना प्रारम्भ की गई तथा राज्य में वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक सफलता पूर्वक आईसोपॉम योजना का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2010–11 में दलहन को इस परियोजना को हटाकर एन.एफ.एस.एम. दलहन में शामिल कर लिया गया है।

आईसोपॉम योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :

(1) तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करना।

(2) मक्का के विविध उपयोगों के आयाम स्थापित करने हेतु उत्पादकता बढ़ाना।

राज्य में तिलहन एवं मक्का उत्पादन हेतु प्रयास :

राज्य सरसों, तिल एवं मौठ उत्पादन में देश में प्रथम है तथा जल्दी ही सोयाबीन रिकार्ड उत्पादन हासिल करने जा रही हे। अतः आईसोपॉम योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में तिलहन एवं मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की विपुल संभावनाएं है। कृषि के विभिन्न आयामों यथा बीज गुणवत्ता, प्रमाणित बीज वितरण, फव्वारे का उपयोग, जिप्सल वितरण, आई.पी.एम. की जानकारी कृषक प्रशिक्षण आदि का समुचित एवं समन्वित उपयोग कर तिलहनी एवं मक्का फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।

(1) **बीज :** गुणवत्तायुक्त बीज के उपयोग से फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी कर राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसके लिए राज्य में गुणवत्ता बीज, प्रमाणित बीज का अधिक से अधिक उत्पादन कर, गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान का प्रावधान है। तिलहन एवं मक्का के आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कृषकों को 1000/– रू. प्रति क्विलंटन अनुदान देय है। प्रमाणित बीज वितरण पर 1200/– प्रति क्विंटल अनुदान देय है। वर्ष 2010–11 में इस कम्पोनेन्ट में 4450.96 लाख रूपये का प्रावधान है।

(2) **प्रदर्शन :** फार्म्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन, तिलहन एवं मक्का के प्रदर्शन आयोजन किये जाते है। जिसमें नई किस्म के बीजों का उपयोग कर फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य है। इसके लिए प्रति प्रदर्शन अलग–अलग फसलों हेतु अलग–अलग अनुदान राशि देय है। वर्ष 2010–11 में इस कम्पोनेन्ट में 83.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(ए) फसल प्रदर्शन कार्यक्रम :

फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शनों पर देय अनुदान/सहायता

अ– केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत	क्षेत्रफल प्रति प्रदर्शन	अनुदान
1– आईसोपॉम (कॉम्पेक्ट क्षेत्र) (1) उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के वृहद प्रदर्शन क– तिलहनी फसलें खरीफ	5.00	आदानों के वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम
मूंगफली	5.00	4000 रू. प्रति हैक्टर
सोयाबीन		3000 रू. प्रति हैक्टर
तिल, अरण्डी, कुसुम, रामतिल,		1500 रू. प्रति हैक्टर
सूरजमुखी		2500 रू. प्रति हैक्टर
रबी		
सरसों, अलसी		2000 रू. प्रति हैक्टर
ख– मक्का फसल खरीफ एवं रबी		4000 रू. प्रति हैक्टर
(2) मूंगफली में पॉलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी वृहद प्रदर्शन		8000 रू. (4000+4000 रू. पॉलीथीन मल्च बिछावन हेतु) प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है।

(बी) मिनिकिट वितरण कार्यक्रम :

खरीफ, रबी एवंम जायद में भारत सरकार से प्राप्त तिलहन एवं मक्का फसलों के मिनिकिट्स का महिला कृषकों में निःशुल्क वितरण किया जाता है।

(3) **पौध संरक्षण :** पौध संरक्षण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कीटनाशी रसायनों एवं पौध संरक्षण यंत्रों हेतु अनुदान राशि देय है आईसोपॉम योजनान्तर्गत आइ.पी.एम. प्रदर्शन लगाये जाते है जिसमं प्रति प्रदर्शन 22680/– अनुदान देय है। वर्ष 2010–11 में पौध संरक्षण के लिए 532.96 लाख रूपये का प्रावधान है।

(4) **कल्चर :** राईजोबियम/एजेटोबेक्टर/पी.एस.बी. कल्चर का तिलहन एवं मक्का में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए

अनुदान 50 प्रतिशत लागत का या 100/– रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है। इस वर्ष इस कम्पानेन्ट में 35.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(5) **जिप्सम** : तिलहन फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिप्सम मुख्य प्राकृतिक स्त्रोत है जो कि राजस्थान में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2010–11 में जिप्सम वितरण के लिए 500.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(6) **कृषक प्रशिक्षण** : आईसोपॉम योजनान्तर्गत कृषकों को फसल उत्पादन के लिए उन्नत कृषि विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। इस वर्ष 285 प्रशिक्षण हेतु 25.65 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान राज्य में एक प्रशिक्षण में 30 कृषकों का बैच रखा जाता है।

(7) **सिंचाई पाईप लाईन** : जलस्त्रोत से जल खेतों तक ले जाने हेतु सिंचाई पाईप लाईन पर अनुदान की सुविधा दी गई है इस कार्य हेतु अधिकतम 15000/– रूपये या एच.डी.पी.ई., पी.वी.सी. इत्यादि पाईप के मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है। इस वर्ष 5334.4 किलो मीटर पाईप लाईन हेतु 1000.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। प्रति कृषक 800 मीटर तक अनुदान देय है।

(8) **कृषि यंत्र** : हस्त चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते है। वर्ष 2010–11 में 18250 हस्त चलित एवं 5200 शक्ति चलित कृषि यंत्रों का वितरण लक्ष्य तथा इसके लिए 250.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस बाबत् हस्त चलित यंत्रों पर अधिकतम 2500/– रूपये प्रति यंत्र प्रति कृषक अनुदान देय है जबकि शक्ति चालित यंत्रों पर 15000/– रूपये प्रति यंत्र प्रति कृषक अनुदान देय है।

(9) **सूक्ष्म तत्व** : इस योजना के तहत सूक्ष्म तत्वों के प्रदर्शन कृषकों के खेतों पर लगाये जाते है, जिसमें प्रति प्रदर्शन 50 प्रतिशत या 500/– रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय है। वर्ष 2010–11 में इसके तहत 7.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

(10) नवाचार कार्यक्रम :

(i) बीज उपचार : बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीजों की बुवाई से पूर्व उपचारित करने हेतु रसायन का 50 प्रतिशत या 100/– रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय है। बीज उपचार के तहत इस वर्ष 20.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(ii) निजी क्षेत्र की भागीदारी : बीज उत्पादन एवं विस्तार कार्य में सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों यथा एन.जी.ओ. किसानों के संगठन, व सहकारी समितियों आदि की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। वर्ष 2010–11 में इसके लिए 60.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(iii) सोलर ट्रेप व फेरोमोन /लाईट ट्रेप : कीट नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेप लगाना शामिल है जिससे किसानों को कीट प्रकोप का पता चल जाये और इनको नियंत्रित कर सके। इसके लिए वर्ष 2010–11 में 5.75 लाख रूपये का प्रावधान है।